से लगती हुयी भूमि नहीं थीं एवं ना ही उक्त आराजी में अथवा उसके पास होकर कोई जल प्रवाह स्त्रोत गुजरता था। वर्तमान में उक्त आराजी अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की हैं एवं उसके द्वारा ही उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त की जा रही हैं। उक्त आराजी बाबत् वाद को निर्णित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अपने साक्ष्य–सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया एवं लोक अदालत कैम्प आहोर में अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में ही मात्र इस आधार पर अपीलाण्ट का वाद खारिज कर दिया गया कि वर्णित आराजी को अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के निर्णय अनुसार खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। जबकि वर्णित आराजी वक्त भूमि बंदोबस्त के दौरान सेटलमेंट अधिकारियों की त्रुटि के कारण भूमि की किस्म बदलकर गै.मु. बाला दर्ज कर सरकारी खाते में ले ली गयी थीं। जबकि सेटलमेंट विभाग को खातेदारी हक हटाने का कोई अधिकार नहीं हैं। अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि बाबत् अपीलाण्ट को सरकार का जवाब वादपत्र पर आने के पश्चात साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना था एवं उसके उपरान्त विधिक प्रक्रिया अपनाये जाने के पश्चात वाद का न्याय निर्णयन किया जाना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी किसी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर अपीलाण्ट की गैरमौजूदगी में लोक अदालत कैम्प आहोर में पत्रावली का निस्तारण कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी तरीके से अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में लोक अदालत कैम्प आहोर में प्रकरण बताकर आदेश जैर अपील पारित कर दिया है। उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान न कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के हक–हकूकों पर कुठाराघात किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.11.2017 को हुई। जिसकी दिनांक 15.11.2017 को नकल प्राप्त हुई। अपीलांट वृद्ध एवं बीमार पड़ जाने के कारण अपील प्रस्तुत नहीं कर पाया, जो स्वास्थ्य लाभ होने पर प्रस्तुत की। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें। अपील अपीलांट म्याद के बिंदु पर विनिश्चय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में म्याद के बिन्दु के विनिश्चय के साथ प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 18.12.2017 को हस्तगत अपील प्रस्तुत की। जो लगभग 3 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा विलंब के कारण के रूप में स्वयं के वृद्ध एवं अस्वस्थ होने तथा जैर इलाज होने से निर्णय की जानकारी निर्णय दिनांक को नहीं होना अंकित किया है। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपीलांट के उक्त कथनों का खण्डन किया।

2. हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रकरण में लगभग 3 माह का विलंबकाल है। जिसे दीर्घ विलंब की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। साथ ही प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर होना चाहिए, न कि कठोर तकनीकी प्रक्रियात्मक मानकों के आधार पर। अतः विलंबकाल को जानबूझकर कारित लापरवाही जनित नहीं माना जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विलंबकाल माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अपीलांट द्वारा अपील में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी हक की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य व सुनवाई का अवसर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 60/2017 G.C.M.S. No: 2017/00461 दर्ज दिनांक : 22.12.2017

अपीलार्थिगण

स्व. कान सिंह पुत्र मोती जी फौत के कायम मुकाम:–

1. मेथी पत्नी स्व. श्री कान सिंह
2. प्यारी देवी पुत्री स्व. श्री कान सिंह
3. गुलाब कंवर पुत्री स्व. श्री कान सिंह
4. कालू सिंह पुत्र स्व श्री कान सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी छापरिया देवगढ़ तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान सरकार राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2017 राजस्व वाद संख्या 50/2014 न्यायालय उपखंड अधिकारी आहोर एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री संजय खान विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 18.11.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी आहोर के राजस्व वाद संख्या 50/2014 बउनवान कान सिंह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलान्ट्स ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद खातेदारी हक की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादी के पैतृक कब्जा काश्त की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम गोविंदला देवगढ़ पटवार हल्का सेलडी, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र रामा. तहसील आहोर जिला जालोर (राज.) में गत खसरा नम्बर 444, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 118 रकबा 0.41 हैक्टेयर की आयी हुई हैं। उक्त आराजी में वादी के पिता मोती पुत्र चेला राजपुत का तत्कालीन समय में शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के निरन्तर रूप से कब्जा व काश्त चला आ रहा था एवं वर्तमान में वादी के पिता की मृत्यु के उपरान्त वर्णित आराजी में वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज व काश्त हैं। कालान्तर में भूमि बंदोबस्त होने के दौरान वादी के कब्जा काश्त की उक्त आराजी सरकारी भूमि सिवाय चक, गै.मु. दर्ज हो गयी हैं, जिसकी जानकारी वादी को होने पर वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा बैंक घोषणा, रेकर्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम गोविंदला देवगढ़ पटवार हल्का सेलडी भू.अ. नि. क्षेत्र रामा तहसील आहोर के गत खसरा संख्या 444 के बने नवीन खसरा संख्या 118 रकबा 0. 41 हैक्टेयर की रेकर्ड दुरस्ती कर उक्त आराजी वादी के नाम की खातेदारी घोषणा करवाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.07.2017 को लोक अदालत कैम्प आहोर में उक्त वाद खारिज कर दिया। अपीलाधीन आदेश में वर्णित आराजी तत्कालीन समय में अपीलाण्ट के पिता मोती पुत्र चेला राजपूत के कब्जे काश्त की थीं एवं उक्त आराजी में अथवा आराजी के आस–पास की भूमि कोई नदी नाले

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

दिए बिना एवं विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना लोक अदालत में पत्रावली का निस्तारण कर वादपत्र खारिज कर दिया। जिसकी अपीलांट को जानकारी भी नहीं दी गई। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में रिमांड फरमावें।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 16.06.2014 को दर्ज किया गया। प्रकरण में दिनांक 05.07.2016 को प्रतिवादी रेस्पोंडेंट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली वकील वादी के जवाबुलजवाब पेश करने हेतु नियत रहीं तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.05.2017 नियत की गई। आदेशिका दिनांक 14.07.2017 को प्रकरण लोक अदालत कैम्प आहोर में रखी जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर वादपत्र खारिज कर दिया गया।

5. व्यवहार प्रक्रिया संहिता में यह बाध्यकारी विधिक प्रावधान है कि वादपत्र के निर्णयन में जवाबदावा प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण में विवाद्यक कायम किये जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं संबंधित विवाद्यकों को साबित/नासाबित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रकरण का संगत विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर परीक्षण करते हुए अपने विनिश्चय के कारणों के स्पष्ट अंकन के साथ विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन एवं निर्णयन करते हुए प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णीत एवं डिक्री किया जाना चाहिए। लेकिन हस्तगत प्रकरण में उक्त बाध्यकारी विधिक प्रावधानों का अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण अनुशीलन नहीं किया गया है। अतः गंभीर प्रक्रियागत त्रुटियों से दूषित होने के कारण अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि नहीं की जा सकतीं।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत कैम्प में निर्णीत किया है। लोक अदालत के माध्यम से केवल ऐसे प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें उभयपक्ष सहमत हों तथा उभयपक्ष द्वारा राजीनामा निष्पादित कर प्रस्तुत किया जावें, लेकिन हस्तगत प्रकरण में न तो उभयपक्ष द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत किया गया एवं न ही उभयपक्ष द्वारा लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण के निस्तारण की कोई सहमति दी गई।

7. प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– "No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की बिना सहमति एवं बिना राजीनामा हुए प्रकरण को लोक अदालत कैम्प में रखकर अविधिक रूप से निस्तारित करने, प्रकरण के निस्तारण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 एवं इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित पूर्व उल्लेखित निर्णय से आच्छादित होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होन से अपील अपीलांट भली–भांति साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 50/2014 बअनवान कानसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2017 अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विवाद्यक विरचित किए जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य, रक्षा–प्रतिरक्षा का समुचित अवसर देते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 में विहित प्रावधानों का अक्षरशः पालन करते हुए विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन एवं सकारण विनिश्चय के साथ निर्णयन करते हुए प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णीत व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 02.01.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली